

**न्याय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारा (राज.)**

कार्यना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
55/20	88 RTM	खेतवा	दरडा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
संगीताबाई	बनाम	विमलाबाई	
		2020/00260	

वकील :- हेमराज कुशवाह एडवो.

**आदेश पत्रक**

वकील :-



दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
--------	--------------------	--------------

6/10/20

अभिभाषक वादी द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर टी एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी गण के न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादी गण को जर्जे सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 14.10.2020 को पेश हो।


14/10/20

पत्रावली पेश हुई। अन्य पत्र कारान उपस्थित। कोर्टोना-सुडामा केलेन के कारण एक दिवसीय अधिकारी भेजे। अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण आदेश पूर्ववत् पत्रावली 9/11/20 को पेश हो।

संगीताबाई  
पत्र  
अंगीकारी  
Identified by  
  
  
अ.प. विमलाबाई


9/11/20

कोर्टोना सुडामा  
आज पीएचडी अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 09.11.20 को पेश हो।

  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा (बारा)

8/12/20

अन्य पीएचडी अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण, पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 08.12.20 को पेश हो।

  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा (बारा)

पत्रिका पेश हुई। तदनुसार परीक्षा आदेशित।  
 आदेश (राजीव) लिखापत्र जाकर शुक्राने गयी  
 वादी का बाद शुक्रानिके राजीवता रकीकार किया जाया  
 है। निर्णय प्रथम से लिखा जाकर शास नि. दि. ५९  
 गया। पत्रिका नि. अ. ल. शुक्राने दोबर शासित दफतरे

डा. म

उपकरण अधिकारी  
 उबहा, जिला बारा (राज०)